

6. उत्तरदायित्व में भागीदारी - स्थानीय एवं राज्य स्तरीय निकायों की भूमिका

फोकस



निम्नलिखित को पढ़िए....

26 जनवरी, 2001, भुज में 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप

राज्य सरकार की 26 जनवरी, 2001 की रिपोर्ट में यह बताया गया कि 13,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा 1.67 लाख लोग जखमी हुए। 21 जिलों में रहे लगभग 1.97 करोड़ लोग प्रभावित हुए। लगभग 3.20 लाख पक्के और कच्चे मकान तथा 14,000 झोंपड़ियां पूरी तरह से नष्ट हो गईं। लगभग 7.33 लाख पक्के और कच्चे मकान और 31,000 झोंपड़ियों का आंशिक रूप से क्षति पहुंची.....कहां गलती हो गई? क्या इन मकानों का संरचनात्मक डिजाइन दोषपूर्ण था?

28 जनवरी, 2001 को राहत दल अहमदाबाद और भुज पहुंचने शुरू हो गये। लोगों ने, स्वयंसेवी संगठनों, व्यावसायिकों, सहायता एजेंसियों ने वहां सहायता सामग्री पहुंचाना शुरू कर दिया है।

खान भुज कस्बे में एक ड्राइवर हैं। शुक्र है कि भूकम्प में उनके परिवार के किसी सदस्य को चोट नहीं आई; लेकिन उनका सारा कीमती सामान, नकदी और मकान नष्ट हो गया। भूकंप के पश्चात् 100 से भी अधिक निजी, सरकारी और गैर-सरकारी संगठन राहत सामग्री पहुंचा रहे थे, लेकिन खान के परिवार के लिए एक टेन्ट भी नसीब नहीं हुआ और वे सड़ पर ही पड़े हुए थे....समन्वय कार्य कौन करेगा?

बेचारे ड्राइवर खान ही अकेला भुक्तभोगी नहीं थे। और भी ऐसे कई बद-किस्मत परिवार थे। ऐसा आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। इस बारे में ज़रा सोचिए....जब आपदाएं आती हैं तो सबक सिखा जाती हैं। इसके लिए हमें बहुत ऊंची कीमत यहां तक कि जान और माल की कीमत चुकानी पड़ जाती है। इससे यह बात साफ हो जाती है कि आपदा के लिए योजना बनाना कितना महत्वपूर्ण है? तो क्या हम भुज जैसा एक और झटका सहने के लिए तैयार हैं? अब समय आ गया है कि हम अपने पिछले अनुभवों से सीखें।

आपदा के समय सरकारी और गैर-सरकारी संगठन दोनों प्रकार की एजेंसियां समाज को तैयार रहने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संकट के समय होम गार्ड, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस अध्याय में आपदा प्रबंधन में इन एजेंसियों की भूमिका तथा कार्यों को समझने का प्रयास किया गया है। ये एजेंसियाँ समाज की बेहतरी के लिए कार्य करती हैं।

आइए हाथ मिलाएं और तैयार रहें। विद्यार्थी देश की भावी पीढ़ी होते हैं और वे समाज के रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने में सहायता देकर श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं।

आपदाओं का प्रबंधन

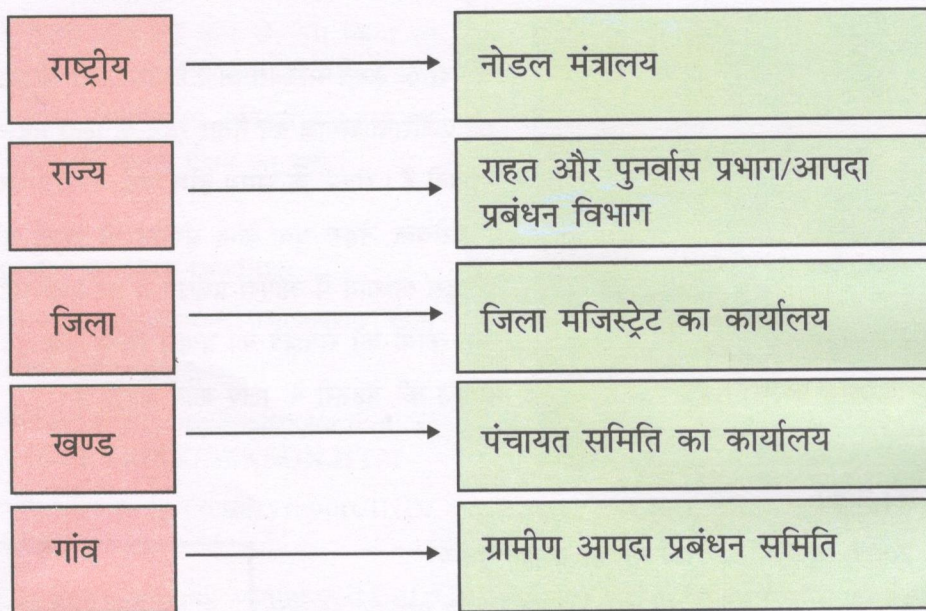
विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ ताल-मेल करके आपदाओं का प्रबंधन प्रभावकारी ढंग से किया जा सकता है।.....क्या आपको मालूम है कि कौन सी एजेंसियां हमारी सुरक्षा के लिए काम करती हैं?

आइए उन एजेंसियों के बारे में जानें जो आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

आपदा का प्रबंध कैसे किया जाता है?

देश में विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन के बारे में नीचे दिए गए चार्ट से आप बेहतर समझ सकते हैं।

भारत में प्रशासनिक वर्गीकरण के बारे में आपने नागरिक शास्त्र की पुस्तक में पढ़ा होगा।



भारत में संघात्मक शासन-प्रणाली के चलते केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अलग-अलग भूमिका है। राष्ट्र, राज्य, जिला एवं उप जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए एक संगठित प्रशासनिक तंत्र कार्य पर है।

प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत-बचाव तथा पुनर्वास कार्य करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार तो वित्तीय तथा संचार-तंत्र संबंधी सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में योगदान करती है।

राष्ट्रीय स्तर

निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार अपनी ओर से पहल करती है :

1. आपदा की गंभीरता
2. राहत कार्य की मात्रा
3. राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं संभार-तंत्र में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता

सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में आपदा प्रबंधन कार्य का समन्वय करने के लिए केन्द्र में गृह मंत्रालय एवं नोडल मंत्रालय है। सूखा पड़ने के मामले में आपदा प्रबंधन का कार्य कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। अन्य मंत्रालयों के कार्य क्षेत्र में आने वाली आपदाओं के मामले में उन्हें आपातकालीन सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा जाता है।

क्रम सं.	आपदाएं	नोडल मंत्रालय
1.	प्राकृतिक आपदाएं (सूखे को छोड़कर)	गृह मंत्रालय
2.	सूखा	कृषि मंत्रालय
3.	हवाई दुर्घटनाएं	नागरिक विमानन मंत्रालय
4.	रेल दुर्घटनाएं	रेल मंत्रालय
5.	रासायनिक आपदाएं	गृह मंत्रालय
6.	जैविक आपदाएं	गृह मंत्रालय
7.	नाभिकीय	गृह मंत्रालय
8.	महामारियां	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

राज्य

प्राकृतिक आपदा से जूझने का दायित्व राज्य सरकार का ही है। केन्द्रीय सरकार की भूमिका तो वस्तुएं एवं वित्तीय संसाधनों की पूर्ति करने के रूप में सहायता प्रदान करने की है। राज्य के मुख्य मंत्री या मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति होती है जो राज्य में राहत कार्यों की देखभाल करती है। राहत आयुक्त प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अपने राज्य में राहत और पुनर्वास कार्यों के प्रभारी होते हैं। बहुत से राज्यों में राजस्व विभाग के सचिव राहत कार्य के प्रभारी होते हैं। राज्यों के पास 'राज्य राहत संहिता' नामक एक नियम-पुस्तक और राज्य आपात योजना होती है जो आपदा के प्रबंधन में उनका मार्गदर्शन करती है।

जिला

जिला प्रशासन सभी सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु होता है। वास्तव में दिन-प्रतिदिन राहत पहुंचाने के कार्य की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर/उपायुक्त की होती है जिसके पास जिला स्तर के सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा पर्यवेक्षण की शक्तियां होती हैं।

73 वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को "स्वायत्तशासी संस्था" के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ये स्थानीय संस्थाएं पूर्व चेतावनी पाकर आपदाओं का मुकाबला करने, राहत सामग्री बांटने, पीड़ितों को आश्रय प्रदान करने तथा चिकित्सा सहायता आदि उपलब्ध कराने में एक प्रभावशाली साधन के रूप में कार्य कर सकती हैं।

जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक आपदा प्रबंधन समिति गठित की गई है और उसमें स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, पशु-चिकित्सा विभाग, जल एवं सफाई विभाग, पुलिस, अग्निशमन सेवा के अधिकारियों, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों आदि के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। आपदा प्रबंधन समिति मुख्यतः निर्णय लेने का काम करती है और आपदा प्रबंधन दलों की सहायता करती है।

ये दल कार्यवाई करते हैं तथा अग्निशमन सेवाओं, पुलिस, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित होते हैं।

क्रियाकलाप 2

दिल्ली जिला के, जो कि भूकम्पीय क्षेत्र (उच्च जोखिम क्षेत्र) है, जिला मजिस्ट्रेट के नाते स्कूल के बच्चों और स्कूल के आसपास रहने वाले समुदायों में जागरूकता पैदा करने के लिए आप क्या-क्या उपाय या क्रियाकलाप आयोजित करेंगे?

खण्ड (ब्लॉक)

खण्ड विकास अधिकारी/तालुका विकास अधिकारी ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन संबंधी सभी क्रियाकलापों के लिए नोडल अधिकारी होता है। ब्लॉक/तालुका स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नोडल अधिकारी होता है। इस समिति के अन्य सदस्यों में समाज-कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई विभाग, पुलिस, अग्निशमन सेवाओं के अधिकारी, युवा संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, सुविख्यात वरिष्ठ नागरिक, निर्वाचित प्रतिनिधि आदि शामिल होते हैं। ब्लॉक आपदा प्रबंधन समिति के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

- ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में ब्लॉक प्रशासन की सहायता करना
- आपदा प्रबंधन दलों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण का समन्वय करना
- नकली अभ्यास करना

गांव



आपदा प्रबंधन योजना तैयार करते हुए ग्रामवासी

अतिरिक्त अनेक ऐसे संस्थान हैं जो देश में विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन में लगे हुए हैं। इनमें शामिल हैं- पुलिस तथा अर्द्ध सैनिक बल, नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड्स, अग्निशमन सेवाएं नेशनल कैडर कोर (एनसीसी), युवा संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दल, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यम, मीडिया आदि और सभी आपदा प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ संगठनों के कार्यों का नीचे उल्लेख किया गया है :

गांव स्तर पर ग्राम आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष सरपंच/गांव का मुखिया होता है और वह ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने और आपदा प्रबंधन दलों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। सदस्यों को यह देखना चाहिए कि विभिन्न जोखिमों के लिए ग्रामवासियों द्वारा नियमित अंतरालों पर नकली अभ्यास किए जाएं।

अपनी कक्षा में अपने मित्रों के साथ ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न आपदा प्रबंधन दलों के बारे में सोचिए और आपदाओं के समय आपदाओं के दौरान, आपदाओं से पहले और आपदाओं से पहले और आपदाओं के बाद इन समितियों और उनके सदस्यों की भूमिका और उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा कीजिए।

यह सब जानते हैं कि अकेले सरकार आपदा प्रबंधन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों के

अपनी कक्षा में अपने मित्रों के साथ ग्राम स्तर पर गठित, विभिन्न आपदा प्रबंधन दलों के बारे में सोचिए और आपदाओं के समय, आपदाओं से पहले और आपदाओं के बाद इन समितियों और उनके सदस्यों की भूमिका और उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा कीजिए।

1. संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन दल (यूएनडीएमटी) -भारत

संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्य समन्वय कार्यालय (यूएन ओसीएचए) को संयुक्त राष्ट्र महासभा के जनादेश द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं के समय कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत में यूएनडीएमटी आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारी तथा आपदाओं के प्रभाव को कम करने और आपदा जोखिम प्रबंधन में सरकार की क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। यूएनडीएमटी में एफएओ, आईएलओ, यूएनडीपी, यूएनएफपीए, यूएनआईसीडीएफ, डब्ल्यूएफपी और डब्ल्यूएचओ जैसी संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों का प्रतिनिधित्व है जो आपदा के समय सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। यूएनडीएमटी का प्रमुख उद्देश्य यूएन प्रणाली द्वारा आपदा संबंधी देशव्यापी त्वरित, प्रभावी और एकजुट तैयारी सुनिश्चित करना और उचित समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है। यूएनडीएमटी बाढ़, चक्रवात, सूखे से होने वाली क्षति

के बारे में विभिन्न द्विपक्षीय एजेंसियों (दूतावास, उच्चायोग और/या भारत सरकार के साथ समझौतों के जरिए विकास संबंध सहायता के लिए जिम्मेदार विभाग) और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करता है और साथ ही आपात स्थितियों में एवं आपदा प्रबंधन संबंधी पहल करने के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए बहु-द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन करता रहा है। इस क्षेत्र में भारत सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए यूएनडीएमटी के पास संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों की योजना तैयार करने जैसी तंत्र-व्यवस्था है।

2. भारतीय सशस्त्र बल

सशस्त्र बल सरकार की ओर से जवाबी कार्रवाई करने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। वे तभी आगे आते हैं जब स्थिति नागरिक प्रशासन के सामर्थ्य से बाहर हो जाती है। प्रतिकूल जमीनी परिस्थितियों में कार्रवाई कर सकने, प्रचालनात्मक अनुक्रिया की गति और उनके पास उपलब्ध संसाधनों एवं क्षमताओं के कारण सशस्त्र बलों ने आपदा के तत्काल बाद संचार, खोज एवं बचाव अभियानों, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं, परिवहन, बिजली, भोजन एवं नागरिक आपूर्ति, लोक निर्माण कार्यों एवं इंजीनियरी जैसे आपात सहायता कार्यों में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

3. राष्ट्रीय केडिट कोर (एनसीसी)

1948 में गठित राष्ट्रीय केडिट कोर का उद्देश्य निम्नलिखित है :

- युवाओं में चरित्र, साहस, मैत्रीभाव, अनुशासन, नेतृत्व के गुणों, धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण, साहसिक-कार्यों एवं खेल भावना तथा निस्वार्थ सेवा के गुणों का विकास कर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना
- संगठित, प्रशिक्षित एवं सक्रिय युवाओं की एक मानव शक्ति तैयार करना
- जीवन के सभी क्षेत्रों, सशस्त्र बलों सहित, में नेतृत्व प्रदान करना और स्वयं को देश सेवा के लिए अर्पित करना



स्थानीय अस्पताल में पीड़ितों की सहायता करते हुए एनसीसी के केडिट

एनसीसी में भाग लीजिए और देश की सेवा कीजिए.....

स्कूल जाने वाला हर भारतीय छात्र एनसीसी में शामिल हो सकता है स्कूलों और कॉलेजों के नियमित छात्र स्वेच्छा से एनसीसी में शामिल हो सकते हैं। अधिकारी और केडिट सक्रिय मिलिट्री सेवा करने के लिए बाध्य नहीं है। इसे चार डिवीजनों में बाँटा गया है (ये डिवीजन आर्मी के डिवीजनों जैसे नहीं हैं)। पहले दो डिवीजन हैं : कॉलेज छात्रों के लिए सीनियर डिवीजन और स्कूली छात्रों के लिए जूनियर डिवीजन। कॉलेज के छात्रों तथा स्कूली छात्रों को अलग-अलग प्रशिक्षण दिया जाता है। जूनियर डिवीजन में जाने के लिए आप जिस हाई स्कूल में पढ़ रहे हों वहां एनसीसी टूप होना चाहिए। यदि ऐसा टूप है तो आमतौर पर स्कूल के गेट पर एक बोर्ड लगा होता है जिस पर प्रतीक चिह्न एवं टूप नम्बर लिखा होता है। यदि आप शारीरिक मानकों को पूरा करते हों और सब कुछ ठीक-ठाक हो तो आपको अपना किट मिल जाएगा जिसमें वर्दी, बैरेट कैप, कैप बैज, हेकल्स, वेब बेल्ट आदि शामिल हैं। एक पहचान पत्र भी जारी किया जाता है लेकिन इसमें समय लग सकता है क्योंकि यह बटालियन मुख्यालय से आता है। एक टूप में 100 से अधिक केडेट नहीं होते। इसीलिए, यदि आप शामिल होना चाहते हों तो जल्दी कीजिए। भर्ती हर शिक्षा-वर्ष में होती है।

4. नागरिक सुरक्षा

नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य शत्रुतापूर्ण किए गए आक्रमण की स्थिति में जीवन की रक्षा करना, सम्पत्ति के नुकसान को कम-से-कम करना और औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखना है। 1962 तथा 1965 के युद्धों की वजह से देश को दो बार झेलनी पड़ी आपात स्थिति के कारण भारत सरकार को अपनी आपातकालीन प्रशिक्षण गतिविधियों को प्राकृतिक आपदा से शत्रु के आक्रमण से जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने की ओर मोड़ना पड़ा। केन्द्रीय आपात राहत प्रशिक्षण संस्था (सीईआरटीआई) के रूप



Civil Defence volunteers being trained

में 29 अप्रैल, 1957 को नागपुर में राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई ताकि यह भारत सरकार के आपात राहत संगठन के प्रशिक्षण विंग के रूप में कार्य कर सके। यह केन्द्रीय संस्थान आपात सेवाओं का नेतृत्व करने वालों को अग्रिम तथा विशेष प्रशिक्षण देने की ओर ध्यान केन्द्रित करता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए यह आवश्यक है। आज देश में लगभग 5,00,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक हैं।

5. राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)



आजादी के समय से ही छात्रों को राष्ट्रीय सेवाओं में शामिल करने के प्रति जागरूकता बढ़ती रही है। छात्रों द्वारा स्वेच्छा से राष्ट्रीय सेवा शुरू करने की सिफारिश प्रथम शिक्षा आयोग (1950) ने की थी। शिक्षा मंत्रालय ने 1969-70 के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना लागू की। राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है- **“नॉट मी बट यू”**। इसका अर्थ है कि व्यक्ति विशेष का कल्याण अन्ततः सम्पूर्ण समाज के कल्याण पर निर्भर करता है। एनएसएस का प्रतीक चिह्न है उड़ीसा

के कोणार्क सूर्य मन्दिर के “रथ का पहिया”। यह युवाओं में गतिशीलता एवं उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण का परिचायक है। एनएसएस नियम-पुस्तिका के अनुसार, एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में नामांकित छात्र को दो वर्ष की लगातार अवधि में कम-से-कम 240 घंटे (यानि 120 घंटे प्रतिवर्ष) का उपयोगी समाज-कार्य करना चाहिए। प्रत्येक एनएसएस स्वयंसेवक को एक डायरी रखनी चाहिए। इससे वह अपने कार्य का मूल्यांकन कर सकता है। ऐसा स्वयंसेवक कालेज से एनएसएस सेवा प्रमाणपत्र पाने का पात्र होता है। कालेज में प्रत्येक एनएसएस यूनिट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निकट के किसी गांव/स्लम को अपनाए तथा छुट्टियों के दौरान उसके विकास के लिए कार्य करे। इस प्रयोजन के लिए अपनाए गए गांव/ग्रामीण इकाई/स्लम में, नियमित गतिविधियां और विशेष कैम्पों का आयोजन किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु में एनएसएस के लगभग 1200 स्वयंसेवक राहत सामग्री लेकर सूनामी प्रभावित क्षेत्रों में विशेषकर गंदी बस्ती क्षेत्रों में फैल गए हैं। पांडिचेरी में भी एनएसएस स्वयंसेवकों को राहत कार्य में लगाया गया है। वे एनएसएस के क्षेत्री निदेशक की देखरेख में लगातार कार्य कर रहे हैं।

6. नेहरू युवा केन्द्र

नेहरू युवा केन्द्रों की शुरुआत भारत की स्वतंत्रता की रजत जयंती समारोह के अंग के रूप में वर्ष 1972 में की गई थी। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय युवा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं (गैर-छात्र) को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में हिस्सा लेने तथा अपने स्वयं के व्यक्तित्व एवं कौशल का विकास करने का सुअवसर भी प्रदान करना था। स्वयं सेवक के रूप में सदस्यों ने आपदा के समय समाज की कई प्रकार से सहायता की है। आजकल यह संगठन युवा-मामले एवं खेलकूद मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन एक पंजीकृत संस्था है जो युवा-मामले एवं खेलकूद मंत्री की अध्यक्षता में एक शासक-मंडल द्वारा संचालित किया जाता है।

7. होम गार्ड्स

होम गार्ड्स एक स्वयंसेवी बल है। पहली बार दिसम्बर 1946 में इसका गठन नागरिक अशांति तथा साम्प्रदायिक दंगों पर नियंत्रण करने में पुलिस की सहायता के लिए किया गया। बाद में, कई राज्यों ने नागरिकों के इस स्वयंसेवी बल को स्वीकार कर लिया। 1962 में चीनी आक्रमण होने पर

केन्द्र ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी कि वे अपने-अपने मौजूदा स्वयंसेवी संगठनों को एक ही स्वयंसेवी बल अर्थात् 'होम गार्ड्स' में विलय कर दें। होम गार्ड्स के कार्य हैं :

- आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस के एक सहायक बल के रूप में कार्य करना
- किसी भी प्रकार की आपातस्थिति, जैसे कि हवाई हमला, आग लगना, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की सहायता करना
- अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने में मदद करना
- साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना और कमजोर वर्गों के लोगों को संरक्षण प्रदान में प्रशासन की सहायता करना
- सामाजिक-आर्थिक और कल्याण गतिविधियों में भाग लेना तथा नागरिक सुरक्षा कार्य करना।

आपदा प्रबंधन को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना

एक सक्षम बल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्कूल से तकनीकी कॉलेजों, प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में आपदा प्रबंधन संबंधी पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ये पाठ्यक्रम आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं के बारे में छात्र को जानकारी देने के लिए तैयार किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) जैसे देश के अग्रणी संस्थान विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर देश में मानव संसाधनों की कार्य कुशलता को उन्नत बनाना चाहते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीसीई) ने इंजीनियरी में आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इसी प्रकार के पाठ्यक्रम वास्तुकला, शहरी आयोजना, चिकित्सा पाठ्यक्रम आदि में शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) तथा भारतीय वन सेवा (आईएफएस) आदि के बुनियादी पाठ्यक्रम का भी एक हिस्सा बनाया गया है।

आगे और अध्ययन के लिए संदर्भ :

<http://mha.nic.in/ch13.html>

<http://www.iitd.ac.in/~nss/>

<http://www.annauniv.edu/nss/aboutnss.htm>

www.nyks-india.org

अभ्यास

1. यदि आप असम राज्य के राहत आयुक्त होते जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो आपको कौन-से पाँच विभागों से संपर्क करने की आवश्यकता पड़ती।
2. जिला स्तर की आपदा प्रबंधन समिति के चार सदस्यों के नाम लिखें।
3. राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करें।
4. उन संस्थाओं के नाम लिखें जो राज्य सरकार के कार्यकर्ताओं को आपदा के समय सहायता प्रदान करती हैं।
5. आपदा का सामना करने के लिए केन्द्र सरकार की भूमिका का वर्णन करें।